Awareness Camp at

Reckong-Peo

Tidong Hydro Power Project

(23.7.2024)

Awareness Program held at Tidong Hydro Power Project in Kinnuar on 23-7-2024 by the Hon'ble Chairman of HPBOCW Welfare Board with B.R.O

प्रेस विज्ञप्ति

क्रम संख्या 218   रिकांगपिओ   23 जुलाई, 2024

हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सौजन्य से जिला श्रम कल्याण विभाग किन्नौर द्वारा टी डोंग जल विद्युत परियोजना मूरंग में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नर देव सिंह कंवर ने बतौर मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने श्रमिकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अधिनियम 1996 के अनुसार वे सभी कामगार जो भवन, मार्गों, सड़क, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, बाढ़ नियंतरण, टेलीफोन लाइनों, संचार माध्यमो व अन्य कार्य में अपनी सेवाएं किसी भी रूप में दे रहे है वे सभी श्रमिक कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते है।

नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है तथा पिछले 12 माह में न्यूनतम 90 दिन तक भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में काम किया होना अनिवार्य

है। पंजीकरण के लिए कामगार को संबंधित जिला श्रम आधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा दो पासपोर्ट फोटो श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

उन्होने श्रम कल्याण अधिकारी जिला किन्नौर सपन जसरोटिया को निर्देश दिए कि श्रमिकों के हितों में मिलने वाले लाभों के बारे में उन्हें अधिक से अधिक जागरुक किया जाए ताकि श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभों से वंचित न रहना पड़े। इस अवसर पर उन्होंने श्रमिको की समस्याओं को भी सुना गया तथा उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करने का आश्वासन दिया।

इस दौरान उन्होंने 36 श्रमिकों को भवन एवं सहनिर्माण पहचान पत्र भी प्रदान किए। इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्षा प्रिया नेगी, प्रधान ग्राम पंचायत अकपा शशि कला, सहायक वित्तीय नियंत्रक नरेश चौहान, अध्यक्ष ब्लॉक काग्रेंस कमेटी पूह प्रेम नेगी, एडवोकेट प्रताप नेगी, सहित टी डोंग जल विद्युत परियोजना के पदाधिकारी व कर्मचारी तथा श्रम विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

टी डोंग जल विद्युत परियोजना मूरंग में जागरूकता शिविर का आयोजन

- शिविर में 36 श्रमिकों को भवन एवं सहनिर्माण पहचान पत्र किए प्रदान

सवेरा ब्यूरो

रिकांगपिओ, 23 जुलाई : हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सौजन्य से जिला श्रम कल्याण विभाग किन्नौर द्वारा टी डोंग जल विद्युत परियोजना मूरंग में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नर देव सिंह कंवर ने बतौर मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की।

उन्होंने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अधिनियम 1996 के अनुसार वे सभी कामगार जो भवन, मार्गों, सड़क, सिंचाई, जल निकास, तट बांध, बाढ़ नियंतरण, टेलीफ ोन लाइनों, संचार माध्यमो व अन्य कार्य में अपनी सेवाएं किसी भी रूप में दे रहे है वे सभी श्रमिक कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं।

नर देव सिंह कंवर ने बताया कि पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है तथा पिछले 12 माह में न्यूनतम 90 दिन तक भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में काम किया होना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए कामगार को संबंधित जिला श्रम अधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा दो पासपोर्ट फोटो श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने श्रम कल्याण अधिकारी जिला किन्नौर सपन जसरोटिया को निर्देश दिए कि श्रमिकों के हितों में मिलने वाले लाभों के बारे में उन्हें अधिक से अधिक जागरुक किया जाए, ताकि श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभों से वंचित न रहना पड़े। इस अवसर पर उन्होंने श्रमिकों की समस्याओं को भी सुना गया तथा उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने 36 श्रमिकों को भवन एवं सहनिर्माण पहचान पत्र भी प्रदान किए।

इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्षा प्रिया नेगी, प्रधान ग्राम पंचायत अकपा शशि कला, सहायक वित्तीय नियंत्रक नरेश चौहान, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पूह प्रेम नेगी, एडवोकेट प्रताप नेगी सहित टी डोंग जल विद्युत परियोजना के पदाधिकारी व कर्मचारी तथा श्रम विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

पंजाब केसरी
WED,24 JULY 2024
EDITION: SHIMLA KESARI, PAGE NO. 3

36 श्रमिकों को भवन एवं सहनिर्माण पहचान पत्र दिए

रिकांगपिओ : हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर श्रमिकों के साथ। *(कुल भूषण)*

रिकांगपिओ, 23 जुलाई (कुलभूषण): हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सौजन्य से जिला श्रम कल्याण विभाग किन्नौर द्वारा टी डोंग जल विद्युत परियोजना मूरंग में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने श्रमिकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अधिनियम 1996 के अनुसार वे सभी कामगार जो भवन, मार्गों, सड़क, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, बाढ़ नियंत्रण, टैलीफोन लाइनों, संचार माध्यमों व अन्य कार्य में अपनी सेवाएं किसी भी रूप में दे रहे हैं वे सभी श्रमिक कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं।

नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है तथा पिछले 12 माह में न्यूनतम 90 दिन तक भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में काम किया होना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए कामगार को संबंधित जिला श्रम अधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा दो पासपोर्ट फोटो प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने श्रम कल्याण अधिकारी जिला किन्नौर सपन जसरोटिया को निर्देश दिए कि श्रमिकों के हितों में मिलने वाले लाभों के बारे में उन्हें अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने श्रमिकों की समस्याओं को भी सुना तथा उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने 36 श्रमिकों को भवन एवं सहनिर्माण पहचान पत्र भी प्रदान किए।

इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रिया नेगी, प्रधान ग्राम पंचायत अकपा शशि कला, सहायक वित्तीय नियंत्रक नरेश चौहान, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पूह प्रेम नेगी, एडवोकेट प्रताप नेगी, सहित टी डोंग जल विद्युत परियोजना के पदाधिकारी व कर्मचारी तथा श्रम विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

जिले के 36 श्रमिकों को दिए पहचान पत्र

पूह (किन्नौर)। हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सौजन्य से जिला श्रम कल्याण विभाग किन्नौर ने टी डोंग जल विद्युत परियोजना मूरंग में जागरुकता शिविर लगाया। इसमें हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।

उन्होंने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अधिनियम 1996 के अनुसार वे सभी कामगार जो भवन, मार्गों, सड़क, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, बाढ़ नियंतरण, टेलीफोन लाइनों व अन्य कार्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे सभी श्रमिक कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं। इस दौरान उन्होंने 36 श्रमिकों को पहचान पत्र भी प्रदान किए। संवाद